सांवतसिंह बनाम श्रीपाराम वगैरा

12-1-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ओम प्रकाश व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 धर्माराम के फौत होने के उपरान्त भी अपीलांट् द्वारा उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेने का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत अपील सीपीसी के प्रावधानों के तहत अबेट हो चुकी है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ओमप्रकाश का स्वर्गवास दिनांक 07–12–2020 को व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 धर्माराम का स्वर्गवास दिनांक 23–12–2019 को हो चुका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के स्वर्गवास के एक वर्ष व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 के स्वर्गवास के दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अपीलांट् द्वारा उनके कानूनी वारिसान को रिकार्ड पर लेने व उन्हें बतौर पक्षकार प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। विधिक रूप से किसी भी पक्षकार के फौत होने के उपरान्त 90 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के प्रावधान कानून में निहित है। यदि निर्धारित अवधि में ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है, इसके लिये पृथक से आदेश जारी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 की तरफ आकर्षित करवाया गया जिसके अनुसारः–

Civil Procedure Code 1908 – Order 22 Rule 4 – when LR's of the deceased defendant wer not brought on record within 90 days even after the information before the court about the death of defendant by the [illegible] of the defendant suit will abate.

उन्होनें आगे बहस करते हुए [illegible] किया कि प्रकरण में अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के स्वर्गवास के बाद लम्बी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् किसी प्रकार की कोई नहीं किया जाना यह साबित करता है कि उनके द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

की कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है। इस संबंध में उन्होनें सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 (5) (ए) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

The plaintiff was ignorant of the death of a defendant, and could not, for that reason, make an application for the submission of the legal representative of the defendant under this rule within the period specified in the Limitation Act, 1963 (36 of 1963) and the suit has, in consequence, abated, and.,

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसान को रिकार्ड पर जाने का भार अपीलांट पर होते हुए भी उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वरन् जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अभिलिखित किया जाना की प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की यह ड्यूटी थी कि दोनों रेस्पोडेन्ट्स के वारिसों के नाम अंकित नहीं किये गये है, अपने आप में हास्यास्पद व विधिक प्रावधानों के विपरीत किया गया कथन है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 01–04–2021 को न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत कर दिये गये थे कि प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के करीब सात माह तक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा ना तो प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं किया जाना यह साबित करता है कि प्रकरण के निस्तारण अथवा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि नहीं रखते हुए मात्र प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा चलाना चाहते है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसन को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निर्धारित अवधि, मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर–भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रस्तुत अपील स्वतः ही अबेट हो गई है तथा अपीलांट् द्वारा उक्त अबेटमेंट को सटेसाईड कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्याय की यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी नहीं है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2016 पेज 2907, एआईआर 2007 पेज 325, एआईआर 1990 पेज 94, आरबीजे 2010 पेज 628, आरबीजे 1998 पेज 193, आरबीजे 1999 पेज 397 व आरबीजे 2012 पेज 540 व एआईआर 2000 राज. पेज 353 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में सर्वप्रथम यह कथन किया गया कि सीपीसी के आदेश 22 जिसमें किसी भी वाद अथवा अपील को अबेट किये जाने के प्रावधान निहित है, के प्रारम्भिक नियम 1 में वाद अथवा अपील को अबेट किये जाने के संबंध में अभिलिखित किया गया है कि **No abatement by party's death, if right to sui survives – The death of a plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate if the right to sue survives.** इस प्रकार उक्त नियम का प्रारम्भ ही यह कहता है कि जब **right to sue survives** हो तो अपील अबेट नहीं की जा सकती।

उन्होंनें आगे कथन किया कि प्रकरण में यह तथ्य सही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ओमप्रकाश का स्वर्गवास दिनांक 07–12–2020 व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 धर्माराम का स्वर्गवास दिनांक 23–11–2019 को हो गया था, परन्तु तत्सयम कोविड–19 के कारण अधिकांश समय लॉक डाऊन व न्यायालय का कार्य स्थगित रहने के कारण यह तथ्य की जानकारी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि में उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस संबंध में उन्होंनें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जहां तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रश्न है, प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01–04–2021 को इस आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि रेस्पोडेन्ट ओम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकाश व धर्माराम का देहान्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा तत्समय ही उनके जायज वारिसान की सूची भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा न अपने प्रार्थना पत्र में मृत्यु की दिनांक अंकित की गई ना ही वारिसान की सूची प्रस्तुत की गई। जिससे साबित होता है कि वे रेस्पोडेन्ट के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् प्रतिबद्व नहीं है। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुके थे कि प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 का स्वर्गवास हो चुका है ऐसी स्थिति में न्यायालय का भी यह दायित्व है कि वे अपने स्तर से संबंधित तहसीलदार के माध्यम से इस आश्य की सूचना प्राप्त की जाती कि मृतक पक्षकार के जायज वारिसान कौन–कौन से है तथा उनकी सूची प्रस्तुत की जावे। प्रकरण में न तो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अन्य रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के वारिसान की कोई सूची प्रस्तुत की गई ना ही न्यायालय की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया गया है। इस संबंध में उन्होनें सीपीसी के आदेश 22 नियम 5 तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– **Determination of question as to legal representative – Where a question arises as to whether any person is or is not the legal representative of deceased plaintiff or a deceased defendant, such question shall be determined by the court:**

इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट् द्वारा सीपीसी के प्रावधान आदेश 22 नियम 10 (ए) की तरफ भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया, जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Duty of pleader of communicate to Court death of a party. - Whenever a pleader appearing for a party in the suit comes to know of the death of that party, he shall inform the Court about it, and the Court shall thereupon give notice of such death of the other party, and, for this purpose, the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

ऐसी स्थिति में सीपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट एवं न्यायालय का भी यह दायित्व रहता है कि वे मृतक पक्षकार के वारिसान की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 सहित कुल 49 पक्षकार है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र दो पक्षकारों की मृत्यु होने पर कानूनन सम्पूर्ण अपील अबेट नहीं की जा सकती। यदि अबेटमेंट किया भी जाता है तो उक्त अबेटमेंट मृतक पक्षकार ही हद तक किया जा सकता ना ही सम्पूर्ण अबेटमेंट करते हुए अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जा सकती है। इस संबंध में सीपीसी क आदेश 22 नियम 4 (3) में अभिलिखित किया गया है कि जहॉ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहॉ वाद का, जहॉ तक वह मृत प्रतिवादी के विरूद्व है, उपशमन हो जायेगा। इस प्रकार विधि द्वारा भी यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहॉ एक से अधिक प्रतिवादी हो वहॉ मृतक प्रतिवादी की हद तक ही वाद को अबेट किया जा सकता है ना ही सम्पूर्ण वाद को। चूंकि प्रस्तुत अपील में अन्य प्रतिवादीगण **का right to sue survives** है। ऐसी स्थिति में मात्र दो प्रतिवादी के फौत होने पर सम्पूर्ण अपील को अबेट नहीं किया जा सकता है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि न्याय की यह मंशा रही है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण गुणावगुण पर बहस सुनने के पश्चात् किया जाना हो, वहॉ मात्र तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामलें में भी पक्षकारों के मध्य लम्बे समय से विवाद जैरकार रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी पक्षकार की मृत्यु पर अन्य पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना, बिना किसी ठोस कारण के मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर उनके कानूनी व विधिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ना ही कानून की ऐसी मंशा ही रही है। इसलिए अपील अबेट नहीं हुई है। इसलिए अबेटमेंट सेटएसाईड किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में सीसीसी 2019 पार्ट II पेज 319, सीसीसी 2014 पार्ट I पेज 255, सीसीसी 2013 पार्ट I पेज 521, सीसीसी 2013 पार्ट II पेज 120, सीसीसी 2014 स्प. पेज 533, सीसीसी 2012 पार्ट I पेज 146 व सीसीसी 2011 पार्ट III पेज 38 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 27-03-2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की इस्तदुआ किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट् को तलब किये जाने के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 व 15 जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के फौत होने व अपीलांट् द्वारा इस आशय की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने व उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सिविल प्रकिया संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज करने की मांग जरिये प्रार्थना पत्र की गई।

प्रकरण में प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज किये जाने अथवा नहीं किये जाने के प्रश्न के निर्धारण से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी है कि अप्रार्थी/अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपने हितों की सुरक्षार्थ कितने सतर्क रहे है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 15 धर्माराम पुत्र भूराराम का स्वर्गवास दिनांक 23-12-2019 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का स्वर्गवास दिनांक 07-12-2020 को हो चुका था। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष इस आशय की सूचना [illegible] का सर्वप्रथम दायित्व अपीलांट स्वयं का होता है। दूसरा अपील में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत नोटिस जारी होने की स्थिति में उक्त नोटिस के माध्यम से फौत की सूचना प्राप्त होनी होती है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट स्वयं के द्वारा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

न्यायालय के समक्ष इस आशय की सूचना निर्धारित समयावधि में प्रदान किये जाने पर संबंधित पक्षकारों के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 15 धर्माराम पुत्र भूराराम के स्वर्गवास दिनांक 23–12–2019 के पश्चात् दो वर्ष उपरान्त तक व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम के स्वर्गवास दिनांक 07–12–2020 के एक वर्ष उपरान्त तक ना तो उनके फौत होने की कोई सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ना ही उनके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के बाबत् कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 7 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 01–04–2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के फौत होने व निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपील स्वतः अबेट होने के कथन किये जाने पर अपीलांट् द्वारा भी अपीलांट् द्वारा करीब सात माह पश्चात् तक भी उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब व वारिसान की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए अपने स्वयं के द्वारा किये जाने वाले कृत्य का भार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता पर डालते हुए यह कथन किया जाना कि **"प्रार्थना पत्र में वारिसों के नाम अंकित नहीं किये गये है, व यह अभिलिखित किया जाना कि न्यायालय आदेश 22 नियम 5 सीपीसी की प्रकिया अपनाते हुए जॉच करवाये जिससे कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सके"** अपीलांट् का उक्त कथन अपने आप में इस तथ्य को साबित करता है कि वे अपने दायित्वों से विमुख होते हुए उसका भार प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अथवा न्यायालय पर डालना चाहते है। अपीलांट् स्वयं अपने दायित्वों के प्रति सावचेत नहीं रहे है। अपीलांट् प्रस्तुत अपील में अपनी उदासिनता/लापरवाही से विमुक्त नहीं हो सकते। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 15 के फौत होने की सूचना दिये जाने हेतु सिविल प्रकिया संहिता में निहित प्रावधा[illegible]धि अर्थात 90 दिवस में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सिविल प्रकिया सं. 1908 के आदेश 22 नियम 4 (3) में अभिलिखित किया गया है कि " जब रेस्पोडेन्ट के उत्तराधिकारियों को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर नहीं लिया गया तो अपील अबेट हो जायेगी"

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2000 पेज 353 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Civil P.C. (5 of 1908), 0-22 R.3 O-22 R.4 – Abatement – Appeal – Pendecy of - Death of respondent - Limitation furnished – Appellant not filing application for substitution of L.Rs. within 90 days of death – No application for condonation of dealy – No sufficient cause shown – Appeal abates authmatically. Limitation Act (36 of 1963)., उक्त नजीर मामलें पर अपीलांट् के सावचेत/जागरूक नहीं होने की दशा में पूर्णतया चस्पा होती है।

इसी कम में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2010 पेज 628 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Code of Civil Procedure 1908 – Order 22 Rule 9 – when after the death of appellant plaintiff no application was filed for bringing the LR's of the appellant on record – Delay is of 778 days – Abatment is automatic and no specific order is required., मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा दौराने बहस यह कथन किया जाना **No abatement by party's death, if right to sue survives.**, इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट को मुख्य खसरा नम्बर 617 का खातेदार काश्तकार लिया गया है। इस संबंध में वादग्रस्त भूमि पुराने खेत खसरा नम्बर 250 मिन रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि के बाबत् एक वाद पत्र संख्या 177/72 बउनवान गोविन्दराम बनाम विशालसिंह आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत किये जाने पर पर उक्त वादपत्र अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 31–03–1973 को उक्त वादपत्र खारिज करते हुए वादीगण गोविन्दराम व रामनारायण आदि स्वीकार करते हुए खेत खसरा नम्बर 250 मिन तादादी 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि का खातेदार धोषित किया गया। अपीलांट् यदि वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार से व्यथित थे तो उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की जा सकती थी, <u>अपीलांट् द्वारा उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाना व कालान्तर में वादग्रस्त भूमि का बेचान किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट् का</u> **<u>right to sue survives.,</u>** के आधार पर अपील को संधारण रखने के कथन <u>स्वीकार/चलने लायक</u> **<u>(tenable)</u>** नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्रकरण में हमनें न्यायालय के आदेशिकाओं का भी अवलोकन किया। अपीलांट् द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 11–07–2017 को अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील दिनांक 27–07–2017 को दर्ज रजिस्टर की गई व अपील के साथ प्रस्तुत नोटिस दिनांक 16–08–2017 को जारी किये गये। प्रकरण में आदेशिकाओं के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि <u>अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नोटिस के उपरान्त करीब चार वर्ष की अवधि में किसी प्रकार के कोई नोटिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए अपील में प्रतिस्थापित रेस्पोडेन्ट् को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने देने व प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की मंशा को बल व न्यायिक प्रकिया की अवहेलना किये जाने की श्रेणी में आता है।</u> जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। <u>प्रस्तुत अपील में अपीलांट् प्रारम्भ से ही जागरूक नहीं रहते हुए अपने कृतव्य के प्रति उदासीन रहे है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:49:15 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 5 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:– **Dismissal of suit where plaintiff, after summons returned unserved, fails for seven days to apply for fresh summons., (1) where after a**

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

summons has been issued to the defendant, or to one of several defendants, and returned unserved, the plaintiff fails, for a period of (seven days) from the date of the return made to the Court by the officer ordinarily certifying to the Court returns made by the serving officers, to apply for the issue of a fresh summons the Court shall made an orde that the suit be dismissed as against such defendant, unless the plaintiff has within the said period satisfied the Court.,

अपीलांट/अप्रार्थी अपने विधिक अधिकारो के प्रति सावचेत नहीं रहे है। प्रकरण में अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज नहीं किये जाने अथवा अबेटमेंट को सेटएसाईड करने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, वरन् प्रकरण में फौत हुए पक्षकारों की सूची प्रस्तुत करने का भार उनके अधिवक्ताओं पर डालने का कथन किया जाना अपने आप में यह साबित करता है कि अपीलांट् प्रस्तुत प्रकरण में आज दिनांक तक उदासीन रहे है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण <u>अपीलांट अपने कृत्वयों के प्रति सावचेत/उदासीन रहने, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 में उल्लेखित प्रावधानों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में</u> अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 13:49:15 IST
Reason: SelfAttested

12-1-2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।